न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 13/2020

अपीलांट–

पली देवी पुत्री हनुमानराम जाति जाट निवासी पतासर ग्राम पंचायत पतासर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट–

राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बालोतरा

निर्वाचन अपील विरूद्ध आदेश दिनांक शुन्य द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा जिसके तहत अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत पतासर से हटाये जाने का पारित किया गया।

उपस्थिति :–
श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27/10/2020

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि आक्षेपकर्ता रामाराम द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा के समक्ष प्ररूप–2 में आक्षेप प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी दूसरी जगह नाम है। प्रार्थी स्वंय अपना नाम हटाना चाहता है, प्रार्थी का नाम हटाने की अनुशंषा की जाती है, पली देवी परिवार का सदस्य नहीं हैं। प्रार्थी का नाम वार्ड सं. 3 क्र.सं. 282 से हटाया जावें। इस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त बीएलओ द्वारा अपनी अभिशंषा एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा आक्षेप स्वीकार करते हुए अपीलांट का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

3. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा अपीलांट्स का नाम मतदाता सूचि से पृथक कर अपीलांट्स को अपने मत का प्रयोग करने के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया हैं। अपीलांट ग्राम पंचायत पतासर का मूल निवासी हैं जो अपने परिवास के साथ पीढियों से निवास करते आ रहे हैं तथा इस ग्राम पंचायत पतासर की मतदाता सूचि के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित नही हैं। अपीलांट ने गत लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में ग्राम पतासर से मतदान किया हैं इस दौरान ग्राम पतासर में किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की हैं। पंचायत आम चुनाव में अपीलांट को मतदान से वंचित करने के उद्देश्य से राजनैतिक द्वेषभावना से बीएलओ के पास प्रस्तुत आक्षेप में अपीलांट के न तो हस्ताक्षर है और न ही अपीलांट ने बीएलओ के समक्ष कोई हस्ताक्षर कर सहमति दी गई। इससे स्पष्ट हैं कि बीएलओ ने राजनैतिक आकाओं के इशारे पर अपीलांट का नाम पूर्णतया मतदाता सूची से हटा दिया। रेस्पोडेंट द्वारा भी राजनैतिक दबाव में आकर षडयंत्रपूर्वक तरीके से बिना अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय कार्यवाही के द्वारा अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत पतासर की मतदाता सूची के विलोपित कर दिया गया हैं। अधिनस्थ अधिकारी द्वारा राजनैतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर [illegible] विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध पारित किये गये हैं जो अपास्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाये जावें एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत पतासर की मतदाता सूची मे यथावत रखे जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अपीलांट के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा से प्राप्त मूल अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि आक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारूप–2 पर क्षेत्र के लिये नियुक्त बीएलओ की टिप्पणी प्राप्त की गई हैं एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा आक्षेप स्वीकार कर अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत पतासर की मतदाता सूची वार्ड सं. 3 से विलोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को आक्षेप पर सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 14(1)(ख) में यह बाध्यकारी प्रावधान किया गया हैं कि – "(ख) किसी आक्षेप के मामले में आक्षेपकर्ता को तथा उस व्यक्ति को जिसका कि नाम शामिल किए जाने से वह आक्षेप संबंधित है, एक नोटिस तामील कराएगा–"। इस प्रकार अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त विधिक प्रावधान का पालन किया जाना नहीं पाया जाता हैं। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश किस तिथी को पारित किया गया हैं, का भी उल्लेख नहीं किया गया हैं, एवं अपीलांट् का निवास अन्यत्र होने एवं अन्यत्र मतदाता सूची में नाम होने के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रथम तो अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने से प्रक्रियात्मक त्रुटि की है, जिससे अपीलार्थी की जानकारी के बिना उसका नाम मतदाता सूचि से हट गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नियम के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं करना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया हैं तथा इस आधार पर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा ग्राम पंचायत पतासर के वार्ड सं. 3 की मतदाता सूची के क्रम संख्या 282 पर अपीलांट पत्नी देवी का नाम विलोपित करने का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत समिति पाटोदी) तहसीलदार पचपदरा को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट एवं आक्षेपकर्ता को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते एवं साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लेते हुए नये सिरे से नियमानुसार आक्षेपों का निस्तारण करने की कार्यवाही करें। इसके साथ ही यह भी आदेशित किया जाता हैं कि अपीलाधीन कार्यवाही में सम्बन्धित बीएलओ की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती हैं लिहाजा उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested